कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बांदा

पत्र संख्याः—2017/30641/MBA/Mahoba/19/CFO

दिनांक मई 30 2017

सेवामें,

जिला मजिस्ट्रेट,

महोबा।

विषयः— **रिलॉयन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मौजा कबरई के खाता संख्या—280,गाटा संख्या 1604 एनएच—34, एमएस —174.365 तहसील व जनपद महोबा में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने केसम्बन्ध में।**

कृपया, अपने पत्र संख्याः—1651/श0लि0—बीस—एन.ओ.सी./2017 दिनांक—29.04.2017 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जो रिलॉयन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मौजा कबरई के खाता संख्या—280, गाटा संख्या—1604 एनएच—34,एमएस. 174.365 तहसील व जिला महोबा में रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प)की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि संलग्नक मानचित्र एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री रामदास वर्मा द्वारा दिनांक 27.05.2017 को अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोंण से प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण सुसंगत मानकों के अनसार किया गया निरीक्षणोपरान्त प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा द्वारा प्रस्तुत सस्तुति आख्या दिनांक 28.05.2017 के आधार पर मानचित्र एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया आख्या बिन्दुवार निम्नवत है—

1.प्रस्तावित स्थल अग्निशमन के दृष्टिकोंण से उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

2.किसी भी प्रकार की बिद्युत लाइन/हाईटेन्शन लाइन प्रभावित नहीं करती है।

3.अग्निशमन के छोटे एवं बड़े वाहन प्रस्तावित स्थल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

4.किसी भी प्रकार के नदी, नाले, कब्रस्तान प्रस्तावित स्थल के पास नहीं हैं।

5.किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल प्रभावित नहीं होते हैं।

प्रस्तावित—अग्निशमन—व्यवस्था—

1.प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण बिद्युत व्यवस्था आई0एस0—2148—1686 एवं आई0एस0—5572 के मानकों के अनुरूप प्राविधान किया जाय।

2. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट के पास 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 केजी रखे जायं।

3. स्टोरेज के पास बालू से भरी बाल्टियां समुचित स्टैण्ड पर 12 अदद रखी जायं।

4. इलैक्ट्रिक उपकरणों के पास 02 अदद सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 केजी रखे जायं।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी बांदा

शेष पृष्ठ.........................02 पर

5.जनरेटर सैट के पास 02अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 केजी रखे जायं

6. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड 02 अदद।

7. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी0–225 के अनुसार वांछनीय।

8. पुलिस स्टेशन,अग्निशमन, तथा उच्चाधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों की पट्टिका लगी होना चाहिए।

9. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाफ होना चाहिए।

10. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण कार्य प्रस्तुत मानचित्र के अनुरूप कराया जाय।

प्रस्तावित स्थल का चौहद्दी विवरण **इस प्रकार है –**

प्रस्तावित स्थल के पूरब में– मे0 जगदम्बा ग्रेनाइट की जमीन। पश्चिम में –एन.एच.–34 बांदा झांसी रोड। उत्तर में– मे0 जगदम्बा ग्रेनाइट की जमीन। दक्षिण में– मे0 जगदम्बा ग्रेनाइट की जमीन।

उपरोक्त पेट्रोल पम्प का निर्माण श्री राहुल सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी राजा निवास कालूकुआं बांदा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

आवेदक प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) की स्थापना के बाद उसमें डीजल/पेट्रोल के भण्डारण के पूर्व उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अवश्य कर लेगा तथा व्यवस्था के उपरान्त अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर (कम्पलीशन) अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायगा। तथा प्रस्तावित व्यवस्थायें आवेदक अपने पेट्रोल पम्प पर सदैव कार्यशील दशा में मौजूद रखेगा। तथा निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्थायें न पाये जाने पर जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायगा।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित स्थल की भौतिक निरीक्षण आख्या **संस्तुति** सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नकः–अनुमोदित मानचित्र</u>।

30.05.2017
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बांदा

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

बांदा

<u>प्रतिलिपि</u>–प्रभारी अग्निशमेन अधिकारी महोबा को उनकी आख्या दिनांक 29.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

For Reliance Industries Ltd.
Authorized Signatory